

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

सोमवार, दिनांक 20 जून, 2022 (ज्येष्ठ 30, 1944)

माननीय श्री विकास उपाध्याय, सदस्य की गिरफ्तारी एवं
रिहा किये जाने की सूचना.

पुलिस उपायुक्त, नईदिल्ली, जिला-नई दिल्ली की ओर से यह सूचना दी गई है कि -

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय श्री विकास उपाध्याय, सदस्य को दिनांक 14.06.2022 को सार्वजनिक स्थान पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रातः 10:30 बजे नई दिल्ली जिले के पुलिस थाना, तुगलक रोड क्षेत्र में गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन, बदरपुर, दिल्ली में रात्रि 11:00 बजे ले जाया गया। दिनांक 14.06.2022 को ही रात्रि 11:00 बजे उन्हें थाना बदरपुर, दिल्ली से रिहा कर दिया गया।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा.